जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237
ई–मेल: divcomm-udai-rj@nic.in

क्रमांकः–एफ 17/14/आर.टी.आई./प्रथम अपील/2025/110 दिनांकः 28/10/2025

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा–19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
अपील संख्या–08/2025

श्री महेश्वर सिंह कच्छावा
निवासी, 225/4, सरदारपुरा,
उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर — प्रत्यर्थी

निर्णय

उक्त अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (लोक सूचना अधिकारी) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2025 पर पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं होने पर, अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष दिनांक 07.10.2025 को प्रस्तुत की गई।

1. **प्रार्थना पत्र एवं अपील का विवरण :–**

1.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक	05.08.2025
2.	प्रार्थना पत्र का जबाब/सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक	19.08.2025
3.	लोक सूचना अधिकारी, जिसने जबाब प्रेषित किया/किया जाना है	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
4.	प्रथम अपील प्राप्ति दिनांक	07.10.2025
5.	प्रथम अपील सुनवाई दिनांक	15.10.2025
6.	प्रथम अपील निर्णय दिनांक	28.10.2025

2. **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य** :– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.08.2025 से निम्न सूचना चाही गई –

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना
1.	परीवीक्षाधिन कर्मचारियों का आप द्वारा किये गये आवंटित आवास का किराया जिस मद में जमा होता है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।
2.	परीवीक्षाधिन कार्मिकों का आवंटित आवास का किराया जमा कराने का आप द्वारा जो भी आदेश पारित किया गया है सामान्य दर से या पृथक दरों से उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237
ई–मेलः dlvcomm-udal-rj@nic.in

3.	परीवीक्षाधिन कार्मिकों का आवास किराया सन् 2015 से आज दिनांक तक जमा कराया गया है उस चालान, नकद, ऑन लाईन या वेतन से कटौती कर जमा कराया गया है उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी द्वारा सूचना से भ्रमित कर, सूचना नही देने पर उक्त प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

3. प्रकरण का निर्णयः–

अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई दिनांक 15.10.2025 को उपस्थित होने का नोटिस दिनांक 07.10.2025 को जारी किया गया। सुनवाई में अपीलार्थी तथा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर उपस्थित रहे।

लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रार्थी को चाही गई सूचना पत्र दिनांक 19.08.2025 से उपलब्ध करायी जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा अपील में परीवीक्षाधीन कार्मिक को स्थायी सेवा में नही माना जाता है, का तथ्य बिना किसी आधार के अंकित किया है, जबकी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 30.08.2006 से आदेशित किया है कि "प्रोबेशनर ट्रेनी कार्मिक को नियमित रूप से चयनित राजकीय कर्मचारी माना गया है। अतः वे राजकीय आवास आवंटन हेतु पात्र होंगे और उन्हे राजकीय आवास का आवंटन किया जा सकता है।"

अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि उसके द्वारा जो सूचना चाही गई है, वह भ्रामक रूप से प्रदान की गई है। अतः उसे सही सूचना उपलब्ध करवायी जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुबार उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा प्रार्थी की प्रोबेशनर कार्मिक के स्थायी सेवा में नही होने संबंधी तथ्य के संबंध में लोक सूचना अधिकारी प्रार्थी को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 30.08.2006 की प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध करावें।

अतः अपील आज दिनांक 28.10.2025 को निस्तारित की जाती है।

अगर अपीलार्थी उक्त आदेश से असंतुष्ट है तो माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना डूंगरी जयपुर में 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी), IAS
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237
ई–मेल: divcomm-udai-rj@nic.in

प्रतिलिपिः–

1. श्री महेश्वर सिंह कच्छावा निवासी, 225/4, सरदारपुरा, उदयपुर। GAD आदेश 30/08/06 की प्रति संलग्न
2. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर।

संभागीय आयुक्त,
संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)
(प्रथम अपील अधिकारी)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– एफ 35(12)सा.प्र./2/06 जयपुर, दिनांक: 30 AUG 2006

–: आदेश :–

राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवासों का आवंटन का प्रावधान किया हुआ है परन्तु उक्त नियमों में प्रोबेशनर ट्रेनी कार्मिक को राजकीय आवास आवंटन किये जाने के संबंध में नियम शांत हैं ।

कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 7(2)कार्मिक/क–2/2005 दिनांक 20.1.2006 में राजस्थान विविध सेवा (संशोधन) नियम, 2006 में किये गये संशोधन अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी कार्मिक को दो वर्ष के लिए निश्चित पारिश्रमिक (Fixed remuneration) पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। प्रोबेशनर ट्रेनी कार्मिक को नियमित रूप से चयनित राजकीय कर्मचारी माना गया हैं। अतः वे राजकीय आवास आवंटन हेतु पात्र होगें और उन्हें राजकीय आवास का आवंटन किया जा सकता है।

राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवासों का आवंटन नियम–6 में अंकित सारणी, सपठित इस विभाग के आदेश संख्या एफ 1(21)सा.प्र./2/85 दिनांक 3.11.98, के अनुसार पात्रता निर्धारित कर किया जाता है। इन मामलों में कार्मिक को प्रोबेशन अवधि के बाद जिस वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त होगा उसी वेतन श्रृंखला एवं वेतन के अनुसार पात्रता को निर्धारित करते हुये वर्तमान में आधार मानकर, जयपुर एवं जयपुर से अन्यत्र स्थानों पर आवास आवंटन के लिए कार्यवाही की जायेगी।

प्रोबेशनर ट्रेनी कार्मिक को नियमानुसार राजकीय आवास का आवंटन किये जाने पर इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(55)सा.प्र./2/77 दिनांक 17.2.1998 के अनुसार आवंटित आवास के किराये की कटौती उनके निश्चित पारिश्रमिक से ही गणना करके की जायेगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रोबेशन अवधि समाप्ति पर प्रोबेशनर ट्रेनी को जब नियमित वेतन श्रृंखला में नियमित वेतन प्राप्त होने लगेगा, उस स्थिति में आवास की पात्रता की गणना तथा किराया कटौती की गणना उसी अनुरूप की जायेगी जिस तरह वर्तमान में अन्य कार्मिकों के मामलों में प्रचलित प्रावधानों के तहत की जाती है।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 1897/एफ डी(आर)/06 दिनांक 23.6.06 एवं 20060349 दिनांक 3.8.06 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव 30.8.06

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
12. सचिव, लोकायुक्त, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. शासन उप सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
15. शासन उप सचिव, कार्मिक (क—1) विभाग।
16. मुख्य अभियन्ता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग।
17. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिन्ती सचिवालय, जयपुर।
18. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (कोडीफिकेशन) शासन सचिवालय, जयपुर।
19. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप—4) विभाग।
21. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
22. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव